Website:- www.dipronline.org email:-
projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, झुंझुनू

अधिकारी की कमर्ठता व कार्य कुशलता को सदैव याद किया जाएगा - गुप्ता

झुंझुनू, 2 जुलाईः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने कहा है कि अधिकारी द्वारा किए गए कार्यो में उनकी कमर्ठता और कार्य कुशलता को सदैव याद किया जाएगा। पद पर रहकर जो अधिकारी सरकारी कार्यो के क्रियान्वयन में अपनी काबलियत का प्रदर्शन करता है, ऐसे अधिकारी को उच्च अधिकारियों का संरक्षण सदैव मिलता है। वे गुरूवार की शाम यहां खाना खजाना में अपर कलेक्टर के.एल. मीणा के सम्मान समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर ने 9 माह के अल्प समय में ही अपनी सुझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और कार्य कुशलता से पंचायत चुनाव व अन्य प्रशासनिक कार्यो में दिए गए दायित्व को बखूबी निभाया है और प्रशासन और पुलिस की सजगता के कारण ही जिले में हुए पंचायत चुनाव के दौरान कहीं भी कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। चुनावों के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ इस बार सभी तरह के पुख्ता प्रबन्ध किए थे। जिला पुलिस अधीक्षक अजयपाल लाम्बा ने भी अपर कलेक्टर के व्यक्तित्व व कार्य कुशलता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि कई बार पुलिस से पहले ही अपर कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर समझाईश से लोगों को शांत किया है। यह उनकी तत्परता और सजगता का जीता जागता नमूना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिहारीलाल वर्मा ने कहा कि पुलिस को जहां भी प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई वहां अपर कलेक्टर मुस्तैदी के साथ तैनात रहे हैं।

नव आगन्तुक अपर कलेक्टर मदन मोहन शर्मा ने विश्वास दिलाया कि वे प्रशासन के कार्यो में निवर्तमान अपर कलेक्टर की अनुपस्थिति को खलने नहीं देंगे और पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ सरकार के दायित्व को बखूबी अंजाम देंगे। निवर्तमान अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने कहा कि हालांकि उन्हें झुंझुनू में कार्य करने का अल्प समय ही मिला है, लेकिन फिर भी जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक के मार्ग निर्देशन में राजकीय कार्यो को तत्परता से करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, आयुर्वेद, पशुपालन आदि विभागों की शिकायतों के निवारण में सच्ची निष्ठा के साथ दायित्व का निर्वहन किया है।

समारोह में बुहाना तहसीलदार दिनेश चन्द्र भार्गव व कार्यालय अधीक्षक रामधन मीणा ने भी अपर कलेक्टर के सम्मान में उनकी कार्य शैली और हंसमुख व्यक्तित्व तथा गरीबों के प्रति हमदर्दी और प्रशासन की पारदर्शिता व संवेदनशीलता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। समारोह में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला, ए.सी.ई.ओ. जे.एन. मथूरिया, जिले के उपखण्ड अधिकार नरेन्द्र कुमार कोठारी, डॉ. भागचन्द बधाल, राजपाल सिंह, नारायण सिंह शेषमा, बिहारी लाल मीणा सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तथा सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी सवाई सिंह मालावत, जिला रसद अधिकारी गजानन्द खींची और कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर का माला एवं साफा पहनाकर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वागत किया तथा जिला पुलिस अधीक्षक उन्हें सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

......2.....

(2)

झुंझुनू में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

झुंझुनू, 2 जुलाईः जिला उद्योग केन्द्र की ओर से झुंझुनू में 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों से आवेदन पत्र आगामी 25 जुलाई तक मांगे गए हैं। उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक मनीराम ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्योग स्थापना के विभिन्न चरणों की जानकारी के साथ-साथ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान वित्त निगम, बैंकों की ऋण योजनाओं तथा रीको द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले भू-खण्ड आवंटन आदि आधारभूत

सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों से कहा है कि वे 25 जुलाई तक अपने आवेदन पत्र के साथ प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सामान्य वर्ग के युवाओं को 200 रूपये एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को 100 रूपये का शुल्क जमा कराने को कहा है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

वन टाइम समझौता योजना का लाभ उठाएं

झुंझुनू, 2 जुलाई: राज्य सरकार द्वारा वन टाइम समझौता योजना 2010 गत 23 जून से जारी की गई है, जो एक जुलाई 10 से 30 जून 2011 तक लागू रहेगी। उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक मनीराम ने बताया कि योजना में आवेदन करने वाले उद्यमियों, हथकरघा सहकारी समितियों आदि को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जो उद्यमी व अभ्यर्थी विशिष्ठ परिस्थतियों में ऋण चुकानें में असमर्थ रहे हैं उन्हें बकाया मूल धन चुकती करने पर ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना में लघु उद्योग ऋण, जिला उद्योग ऋण, हस्तकरघा ऋण योजना (हथकरघा सहकारी समितियों को ऋण अवधि 1983-84 से 1990-91), मार्जिन मनी ऋण, कोपरेटिव ऋण (राज्य ऋण जो औद्योगिक सहकारी समितियों को दिए गए), ग्रामीण ऋण कार्यक्रम (1967-78) व बाढ़ ऋण योजना (1968-69) के पात्र बकायादारों को योजना का लाभ उठाना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

नरेगा कार्यो के स्थान पर जन्म मृत्यु पंजीयन के पोस्टर लगाने के निर्देश

झुंझुनू, 2 जुलाई: राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परियोजना निदेशक एवं उप सचिव रामनिवास मेहता ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिन स्थानों पर नरेगा के कार्य चल रहे हैं वहां जन्म-मृत्यु पंजीयन संबंधी जानकारी के पोस्टर को आवश्यक रूप से लगाया जाए ताकि हर व्यक्ति का जन्म-मृत्यु पंजीयन हो सके। इस आशय की जानकारी श्रमिकों को मौके पर कराने के निर्देश जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने सभी विकास अधिकारियों एवं ब्लॉक कार्डिनेटर तथा तहसीलदारों को दिए हैं।

सांसद कोटे के चार कार्यो के लिए 8.85 लाख रूपये स्वीकृत

झुंझुनू, 2 जुलाई: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत चिड़ावा और बुहाना पंचायत समिति क्षेत्र में चार निर्माण कार्यो के लिए 8 लाख 85 हजार रूपये स्वीकृत किए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद शीशराम ओला के कोटे से चिड़ावा में व्यापारियों की मस्जिद वाले मौहल्ले में ट्यूबैल मय विद्युत कनेक्शन के लिए सवा तीन लाख रूपये, किठाना में नायकों के मौहल्ले में पानी की टंकी बनाने के लिए 60 हजार रूपये, झांझा पंचायत के हंसास में सीमेन्ट सड़क बनाने के लिए 3 लाख रूपये व बनवास गांव में नाली एवं सीमेन्ट सड़क निर्माण के लिए 2 लाख रूपये मंजूर किए गए हैं।

विधायक कोटे का एक कार्य स्वीकृत: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत झुंझुनू विधायक एवं सहकारिता राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला के कोटे से खतेहपुरा गांव के आयुर्वेद औषद्यालय भवन की चार दीवारी, मैन गैट, शौचालय, पानी की टंकी व अन्य कार्यो के लिए डेढ़ लाख रूपये की राशि स्वीकृत की हैं।